



2026: AHC: 35170

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 5116 वर्ष 2026

राम दुलार याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्य प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: प्रेम शंकर मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

- वर्तमान रिट याचिका, याचिकाकर्ता द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या-4 को आराजी संख्या-2454 और 2461 के राजस्व मानचित्र (नक्शे) में प्रतिवादी संख्या-3 द्वारा वाद संख्या-342 वर्ष 2025 (राम दुलार बनाम रवि शंकर एवं अन्य) में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 30 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 14.05.2025 के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर संशोधन करने का निर्देश देने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
- यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि इस संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया है, परंतु आज तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, अतः वर्तमान रिट याचिका (दायर की गई) है।
- मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान रिट याचिका को अंततः निस्तारित किया जाता है, जिसमें याचिकाकर्ता को आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रतिवादी संख्या-4 अर्थात् तहसीलदार, तहसील सोरांव, जिला प्रयागराज के समक्ष अपनी सभी शिकायतों को स्पष्ट करते हुए एक नया प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जाती है। यदि याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या-4 के समक्ष उपरोक्त समय के भीतर ऐसा कोई प्रत्यावेदन दायर किया जाता है, तो उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मामले में आवश्यक कार्यवाही अति शीघ्र और अधिमानतः याचिकाकर्ता द्वारा उनके समक्ष ऐसा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर करें।

फरवरी 17, 2026

स्वाति

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"